न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 41/2022
GCMS Case No. 2022/161

सायल :–	बनाम	गैरसायलः–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		मुकेश कुमार पुत्र श्री गंगाराम जाति मेवाड़ा निवासी मकान न. 21 कुम्हारो का बास धर्मपुरा पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली
गैर सायल स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :– 24-11-2022

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 22.07.2022 को गैरसायल मुकेश कुमार पुत्र श्री गंगाराम जाति मेवाड़ा निवासी मकान न. 21 कुम्हारो का बास धर्मपुरा पाली पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना औधोगिक क्षैत्र पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2014 से 2022 तक कुल 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है जिनमें से 3 प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	मु0न0	धारा	फैसला दिनांक	निर्णय
1	59/14	19/54 आबकारी अधिनियम	12-04-2014	परीविक्षा अधि.की धारा 4(1) के तहत 100/– रू. अभियोजन व्यय पर छोड़ा गया।
2	422/19	13 आरपीजीओ	1-10-2019	परीविक्षा अधि.की धारा 3 के तहत 100/– रू.अभियोजन व्यय पर छोड़ा गया।
3	262/20	19/54 आबकारी अधिनियम	-	जैर ट्रायल
4	77/21	19/54,66 आबकारी अधि.	-	जैर ट्रायल
5	189/22	13 आरपीजीओ	7-6-2022	परीविक्षा अधि.की धारा 3 के तहत 100/– रू.अभियोजन व्यय पर छोड़ा गया।

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल मुकेश कुमार पुत्र श्री गंगाराम जाति मेवाड़ा निवासी मकान न. 21 कुम्हारो का बास धर्मपुरा पाली पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली जुआ व शराब के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है, जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली राजस्थान

A 4/2

कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(5)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली पाली का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैर सायल ने वक्त बहस कथन किया कि उसके विरूद्ध समस्त प्रकरण पुराने है तथा वर्तमान वह एक आम जीवन बसर कर रहा है तथा मजदूरी कर के अपना परिवार चला रहा है। वह अब किसी भी प्रकार के जुए व शराब के धंधे में लिप्त नहीं है। अतः उसके विरूद्ध पेश इस्तगासा खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.दंगा) पाली के मुकदमा नम्बर 2398/2019 में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2010 को आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए परीविक्षा अधिनियम की धारा 3 का लाभ देकर एवं 100/– रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित कर रिहा किया गया। इसी प्रकार माननीय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.दंगा) पाली के मुकदमा नम्बर 2398/2019 में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2010 को आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए परीविक्षा अधिनियम की धारा 3 का लाभ देकर एवं 100/– रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित कर रिहा किया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल मुकेश कुमार पुत्र श्री गंगाराम जाति मेवाड़ा निवासी मकान न. 21 कुम्हारो का बास धर्मपुरा पाली पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

कोतवाली पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 9-12-2022 से 90 दिन के लिये पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर में सप्ताह में एक बार अर्थात 90 दिन में बारह बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी लूणी जिला जोधपुर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल मुकेश कुमार इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली, गैरसायल मुकेश कुमार को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी लूणी उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली एवं थानाधिकारी लूणी जिला जोधपुर को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 24-11-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)